e/; izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

ch0,M0 izos'k ijh{kk&2015

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		01.02.2015
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		03.03.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में संशोधन की प्रारम्भ तिथि (एम.पी. ऑनलाईन क्योस्क पर) तथा आवेदन–पत्र भरने के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन की प्रारम्भ तिथि { उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत/निर्धारित शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) पर }		02.02.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में संशोधन की अंतिम तिथि (एम.पी. ऑनलाईन क्योस्क पर) तथा आवेदन–पत्र भरने के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम तिथि { उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत/निर्धारित शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) पर }		05.03.2015
परीक्षा दिनांक व दिन		19-04-2015 (रविवार)
अभ्यर्थियों को देय परीक्षा शुल्क	अनारक्षित के लिए	:- 500@&
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन के लिए	:- 250@&
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रू. 70/– अतिरिक्त देय होगा।		

le; lkj.kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
19.04.2015 ,(रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

fVIi.kh %&

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. **ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।**
5. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ **मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से चयनित अन्य** फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नही लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर **राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा** , परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।
7. **निर्धारित अतिम तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।**

ch0,M0 io'k ijh{kk & 2015
fo"k; lwph

l-Ø-	fooj.k	fu;e Øekd
1	अध्याय –1 – बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2015 के लिए विभागीय नियम	03–15
2	हेल्प सेन्टर्स (शासकीय महाविद्यालय) की सूची	16–17
3	अध्याय – 2 –मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	18–27
4	अध्याय – 3 – पाठ्यक्रम	28–32
5	अध्याय – 4 – आवश्यक प्रमाण–पत्रों के प्रारूप	33–47

v/;k; &1
ch0,M0 izos'k ijh{kk ds fy, foHkkxh; fu;e

बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम 2015 के प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. प्रस्तावना

1.1 **सामान्य एवं उद्‌देश्य** – माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सिविल) 276/2012 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 एवं संशोधन दिनांक 26.6.2013 एवं आई.ए. एन.ओ.एस. 113 एवं 114/2014 की सिविल अपील 5914/2011 में पारित आदेश दिनांक 13.8.2014 के परिप्रेक्ष्य में एवं मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 2055/41/न्यायालय/सी.सी./अड़तीस दिनांक 23.8.2013 के अनुपालन में मध्यप्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभाग में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2015 जारी किये जा रहे हैं। जिन्हें संक्षिप्त में प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्त, कहा जायेगा। प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) से मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभाग में बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के लिये उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार **व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश** द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर निर्मित मेरिट सूची अनुसार **'एम0पी0 ऑनलाइन'** के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत (ऑनलाईन) प्रवेश होंगे। प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर केवल चयनित होने मात्र से किसी प्रत्याशी को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा अपितु काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय हेतु हेल्प सेंटर पर प्रवेश के समय उपस्थित आवेदक से अपेक्षित सभी मूल प्रमाणपत्रों के सही एवं नियमानुसार पाए जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व आवेदक को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह चयन की पात्रता/योग्यता रखता है अथवा नहीं।

प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं मेरिट के आधार पर होगी ताकि राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर महाविद्यालयों में प्रवेश का नियमन सुनिश्चित किया जा सके।

अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्त की गई महाविद्यालयों की वरीयता (चयन) के आधार पर ऑनलाईन आवंटन होगा, अतः यह समग्र दायित्व बी0एड0 महाविद्यालयों का है कि वे छात्रों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करें ताकि आवेदक छात्र उनके महाविद्यालय को अपनी वरीयता के उच्च क्रम में रखे और वर्तमान सत्र में उनके संस्थानों में पूर्ण आवंटन/प्रवेश हो सके। आवंटन उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश लेना या न लेना उनकी अभिरूचि पर निर्भर करता है।

ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने के साथ ही आवेदक को बी0एड0 प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित हेल्प सेंटर जो कि चयनित शासकीय महाविद्यालय हैं, में दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर आवेदन में प्रस्तुत जानकारियों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा। सत्यापन करवा चुके आवेदकों को ही बी.एड. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची का ऑनलाइन प्रकाशन किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदकों को प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में पोर्टल शुल्क जमा करते हुए महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करनी होगी। प्रत्येक बी.एड. महाविद्यालयों हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की जानकारी के साथ, सीट–आवंटन–पत्र (**Seat-Allotment-Letter**) जारी किये जावेंगे। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (**Original T.C.**) यथास्थिति माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय **हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क** का डिमांड ड्राफ्ट आवंटित/प्रवेशित बी0एड0 महाविद्यालय के नाम बनाकर शासकीय संबद्ध हेल्प सेंटर महाविद्यालय में जमा कराने के

पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी। **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक** प्रवेश शुल्क हेतु रूपये 5000/—(रु.पॉच हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हुए प्रवेश प्राप्त कर शेष शुल्क (प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित बी0एड0 महाविद्यालय हेतु निर्धारित) की राशि की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति से करेंगे। उक्त प्रतिपूर्ति म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1073/240/सीसी/14/अड़तीस, दिनांक 30.06.2014 के अनुसार करना होगा।

1.2 **अधिकार :**

(अ) बी.एड. में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के चयन संबंधी नीति निर्धारित करने के लिये राज्य शासन को पूर्ण अधिकार है। इन नियमों की व्याख्या करने तथा प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन पूरी तरह सक्षम है तथा उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे ।

(ब) राज्य शासन को इन प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्त और प्रवेश प्रक्रिया को परिवर्तित एवं इनमें संशोधन करने का अधिकार रहेगा।

(स) प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर आयुक्त, उच्च शिक्षा को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिस पर आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

1.3 **प्रभावशीलता :** ये मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रदेश में **''दो वर्षीय बी.एड.''** पाठ्यक्रम संचालन करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से **03 मार्च, 2015** तक मान्यता प्राप्त एवं **10 मई, 2015** तक संबंधित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त समस्त अशासकीय संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग तथा प्रवेश के इच्छुक प्रत्याशियों पर लागू होंगे।

1.4 **संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजनः**

(क) मध्यप्रदेश में बी.एड. प्रवेश—चयन 2015 द्वारा दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :—

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

संस्था में उपलब्ध स्थानों का श्रेणी एवं वर्गवार आवंटन कण्डिका क्रमांक 2 तथा उसकी उपकण्डिकाओं के अनुसार रहेगा। संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 75 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिए और अधिकतम 25 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय की डब्ल्यू.पी. 7113/2014 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15.5.2014 के पालन में अल्पसंख्यक संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान अल्पसंख्यक श्रेणी हेतु तथा 50 प्रतिशत स्थान अन्य श्रेणी के लिये रहेंगे (यह अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेंगे)। इसमें अजजा/अजा/पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरूष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है।

1.5 **बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता :** प्रत्याशी को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्ते पूर्ण करना आवश्यक है —

1.5.1 **शैक्षणिक योग्यता :**

प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या/अथवा स्नातकोत्तर विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी, में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजीनियरी या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित में विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत

अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा के लिये पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपरोक्तानुसार पात्रता में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि क्रमशः न्यूनतम तीन वर्ष एवं दो वर्ष होगी।

1.5.2 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की शर्ते :

(i) जो भारत का नागरिक हो।

(ii) (क) जिसने वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के पॉच वर्षो की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षो तक अध्ययन किया हो।

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री/पत्नी हो :

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी

अथवा

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो।

अथवा

3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो।

स्पष्टीकरण–1

मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासीः उम्मीदवार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई शर्तो – (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगाः

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो,

अथवा

उम्मीदवार स्वयं या उसके पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध अभिभावक (देखे स्पष्टीकरण–2) मध्यप्रदेश में निरन्तर 15 वर्ष से रह रहा/रही हों।

अथवा

उम्मीदवार स्वयं अथवा उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले

कम से कम पांच वर्षो से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अचल सम्पत्ति रखता हो,

और

(ब) उसने मध्यप्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो, जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र के संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण–2

अभिभावक :

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी सम्पति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–3

दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता है तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/स्नातक भाग–एक अथवा गत पांच वर्षो से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

2. <u>सीटों का आरक्षण :</u>

अ– आरक्षण प्रतिशत : मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित **75** प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु आरक्षित 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

स0क्र0	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर)	14 प्रतिशत	27 प्रतिशत

ब– मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गो का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक सवर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) हैं। किन्तु कुल स्थानों के 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

2.1 **सैनिक संवर्ग (एस)** : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी।

सैनिक वर्ग में रक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होगें।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हैं। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अथवा

प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश मे पदस्थ रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी: सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

2.2 **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.)** –

कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने

की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हैं।

टिप्पणीः स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

2.3 **निःशक्तजन (विकलांग):** कुल स्थानों का तीन प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संवर्ग के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.4 **विधवा / परित्यक्ताः** इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा / परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा / परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।

2.5 यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.6 संबंधित **बाहरी राज्य** के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होगें। (संलग्न – प्रमाण पत्र प्रारूप 6 एवं 7)

2.7 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग / संवर्ग का लाभ देय होगा।**

2.8 द्वितीय चरण में बाह्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों को वरीयता एवं गुणानुक्रम के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा।

2.9 द्वितीय चरण में ही बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों की भी संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर म0प्र0 राज्य के आवेदकों को स्थान आवंटित किया जायेगा।

2.10 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाऐंगे तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जायेगा। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आवेदकों की वरीयताऍ नहीं होने पर द्वितीय चरण में रिक्त रह गये स्थानों पर मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासियों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर आवंटन किया जायेगा।

3. प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त रूपरेखा :

3.1 **प्रवेश हेतु विज्ञापन** : बी0एड0 दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन हेतु राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के हिंदी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार–पत्रों में व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म0प्र0 द्वारा विज्ञापन जारी किया जायेगा। ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश एवं आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाइट http://www.vyapam.nic.in पर निर्धारित तिथि अनुसार उपलब्ध होंगे।

3.2 व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म0प्र0 द्वारा आवेदकों के ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रकिया :

क्रमांक	कार्यवाही	तिथि
1.	विज्ञापन का प्रकाशन	जनवरी, 2015
2.	आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन	01 फरवरी से 03 मार्च, 2015
3.	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन (बी0एड0 हेतु चयनित हेल्प सेंटर, शासकीय महाविद्यालयों में)	02 फरवरी से 05 मार्च, 2015
4.	प्रवेश परीक्षा (दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे)	19 अप्रैल, 2015
5.	परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं मेरिट सूची का प्रकाशन	10 मई, 2015 तक

3.3.1 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत कराने के पश्चात् आवेदकों को प्रदेश के चयनित शासकीय हेल्प सेंटर महाविद्यालयों पर जाकर अपने समस्त दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन सत्यापन कराना अनिवार्य है। **दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे एवं उनके आवेदन प्रवेश हेतु मान्य नहीं होंगे तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा।** इसके लिये आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् प्राप्त अभिस्वीकृति पत्र (Acknowledgement Slip) के साथ सहायता केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर समस्त मूल दस्तावेजों को अभिप्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा। दर्ज जानकारियों का मूल प्रमाण पत्रों से अभिप्रमाणीकरण हेल्प सेंटर के अधिकारियों द्वारा किया जावेगा तथा सत्यापन करने के बाद हेल्प सेंटर के अधिकारी Online Verification Slip प्रदान करेंगे एवं प्रमाण स्वरूप इस पर अपने हस्ताक्षर के साथ हेल्प सेंटर की सील भी लगायेंगे। इस Online Verification Slip पर आवेदक को भी हस्ताक्षर करना होगा।

- आवेदकों के दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापित हुए है, अथवा नहीं, इसके लिए आवेदक अपने पंजीयन क्रमांक एवं जन्मतिथि अंकित कर, पोर्टल पर स्वयं जांच कर सकेंगे।
- अन्य राज्यों के आवेदकों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन मध्यप्रदेश राज्य के नजदीकी शासकीय महाविद्यालयों (सहायता केन्द्रों/हेल्प सेंटर) में स्वयं उपस्थित होकर कराना होगा।
- ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन करवा चुके आवेदकों को ही बी.एड. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय समस्त आवेदकों से वचन–पत्र भी अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

3.3.2 आवेदकों को निम्न दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा –

1. जन्म तिथि प्रमाण–पत्र
2. स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अंकसूची
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर) एवं सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा विधवा अथवा परित्यक्ता संबंधी संवर्ग में आरक्षण हेतु मान्य प्रमाण–पत्र
4. म0प्र0 मूल निवासी प्रमाण–पत्र
5. नवीनतम आय प्रमाण–पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर) के प्रत्याशियों के लिये ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण–पत्रों के अनुसार दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि, स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार एवं मूल निवास का पता, हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ का मिलान अवश्य कर लें जिससे सत्यापन

के समय कोई परेशानी न हो। ऑनलाईन आवेदन ठीक प्रकार भरा जाना आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। ऑन लाइन आवेदन के अंतिम रुप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन के निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

3.4 **प्रवेश परीक्षा (केवल सत्यापित आवेदकों के लिये) :**

बी0एड0 दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म0प्र0 द्वारा आयोजित की जावेगी। प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	**सामान्य मानसिक योग्यता** (General Mental Ability)	**30**	**30 अंक**
2.	**सामान्य चेतना** (General Awareness)	**20**	**20 अंक**
3.	**सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी** (General Hindi and English)	**20** (10 + 10)	**20 अंक** (10 अंक + 10 अंक)
4.	**शैक्षणिक अभिरूचि** (Teaching Aptitude)	**30**	**30 अंक**
	कुल	**100**	**100**

प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा समस्त आवेदकों की तथा मध्यप्रदेश राज्य के आवेदकों एवं बाह्य राज्यों के आवेदकों की पृथक–पृथक मेरिट सूची घोषित की जावेगी।

4 **<u>एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से बी0एड0 महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु पंजीयन एवं काउन्सिलिंग प्रक्रिया</u> :**

4.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं समस्त संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची तथा निर्धारित सीट संख्या दिनांक 18.5.2015 को एम0पी0 ऑनलाईन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4.2 प्रवेश परीक्षा पश्चात् व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा घोषित मेरिट सूची अनुसार समस्त अर्ह आवेदकों को बी0एड0 महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline. gov.in के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

- काउन्सिलिंग हेतु पंजीयन के लिए आवेदकों लिये पोर्टल शुल्क रू. 250/–(रु.दो सौ पचास) एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये रूपये 125/–(रू. एक सौ पच्चीस) देय होगा।
- काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत आवेदक को **अभिस्वीकृति–पत्रक** (Acknowledgement-Slip) जारी किया जायेगा, जिसमें आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर मुद्रित होंगे।
- अन्य चरणों में वरीयता व्यक्त करते समय रूपये 50/–(पचास) शुल्क देय होगा।

क्रमांक	कार्यवाही	तिथि
1.	व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा घोषित मेरिट सूची अनुसार सफल आवेदकों द्वारा बी0एड0 महाविद्यालयों में स्थान आवंटन हेतु पंजीयन/महाविद्यालयों की वरीयताओं का चयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान।	18 मई, 2015 से 28 मई, 2015
2.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन	01 जून, 2015
3.	आवंटित बी0एड0 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	01 जून से 08 जून, 2015 तक
4.	प्रथम चरण पश्चात् बी0एड0 महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की उपलब्धता	09 जून, 2015
5.	द्वितीय चरण में आवंटन हेतु आवेदकों से बी0एड0 महाविद्यालयों की पुनः वरीयता प्राप्त करना	09 जून से 14 जून, 2015 तक
6.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन	17 जून, 2015
7.	आवंटित बी0एड0 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	17 जून से 21 जून, 2015 तक
8.	द्वितीय चरण पश्चात् बी0एड0 महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की उपलब्धता	22 जून, 2015
9.	**बी0एड0 महाविद्यालयों में रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश हेतु अंतिम चरण :**	
9. 1	अप्रवेशित आवेदकों द्वारा इच्छुक बी0एड0 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु, बी0एड0 महाविद्यालय के लिए निर्धारित हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) पर समस्त मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति दर्ज कराना	22 से 25 जून, 2015 सायं 5.30 बजे तक
9. 2	महाविद्यालयवार रिक्त सीटों के अनुसार निर्धारित हेल्प सेंटर द्वारा उपस्थिति दर्ज करा चुके आवेदकों की गुणानुक्रम सूची का प्रकाशन	26 जून, 2015 प्रातः 11.30 बजे तक
9. 3	गुणानुक्रम अनुसार संबंधित बी0एड0 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	26 जून 11.30 बजे से 29 जून, 2015 सायं 5.30 बजे तक

4.3 आवेदक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं –

- आवेदक के निवास पर इंटरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से।
- आवेदक के शहर अथवा गॉव में स्थित इंटरनेट सुविधा से।
- एम0पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

4.4 पंजीयन हेतु पोर्टल शुल्क का भुगतान आवेदक निम्न में से किसी एक विकल्प के द्वारा कर सकते हैं –

- इंटरनेट बैंकिंग से।
- एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से।
- एम0पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान से।

आवेदकों को सीट आवंटन संबंधी सूचना उनके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. द्वारा दी जायेगी किन्तु आवेदक संबंधित तिथियों पर स्वयं भी पोर्टल पर अवश्य चैक करें।

4.5 आवेदकों को काउंसलिंग हेतु पंजीयन करते समय कम से कम 50 महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करना होगी। आवेदकों की वरीयताओं एवं प्रवेश परीक्षा के गुणानुक्रम अनुसार तथा आरक्षण का लाभ देते हुए प्रत्येक बी.एड. महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की जानकारी के साथ सीट–आवंटन–पत्र (Seat-Allotment-Letter) एम0पी0 ऑनलाइन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in पर जारी किये जावेंगे। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Original T.C.) यथास्थिति माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय हेतु निर्धारित का डिमांड ड्राफ्ट आवंटित/प्रवेशित बी0एड0 महाविद्यालय के नाम बनाकर अग्रणी महाविद्यालय अथवा चिन्हित महाविद्यालय में जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी।

5 **सीट आवंटन एवं प्रवेश की प्रकिया** :

5.1 आवेदक इंटरनेट पर एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in पर अपना पंजीयन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. एवं जन्मतिथि डालकर लॉगइन कर सीट आवंटन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

5.2 ऑनलाइन सीट आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक को आवंटित बी0एड0 महाविद्यालय से संबंधित जिले के शासकीय हेल्प सेंटर महाविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन एवं सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभिप्रमाणीकरण के समय आवेदक को प्रदत्त सत्यापन पत्रक, सीट आवंटन पत्र (दो प्रतियों में), मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र/माइग्रेशन प्रमाण पत्र (यथा स्थिति जो लागू हो) एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा घोषित परिणाम का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। सभी मूल दस्तावेजों और उनकी छायाप्रतियां भी साथ लेकर जाना होगा।

5.3 हेल्प सेंटर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्राधिकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक से सभी प्रमाण–पत्रों के अभिप्रमाणीकरण करने के पश्चात् मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र को निरस्त कर, उस पर हस्ताक्षर कर सील लगायेंगें। निरस्त स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) को वे अपने पास रखते हुए स्थान आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे। अभिप्रमाणीकरण के पश्चात् निरस्त टी.सी. आवंटित बी.एड. महाविद्यालय के प्राचार्य को हेल्प सेंटर महाविद्यालय द्वारा सौप दी जायेगी(मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इसे निरस्त नहीं करेंगे)। हेल्प सेंटर महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित आवेदक की जानकारी ऑन लाइन पोर्टल पर भी अनिवार्यतः दर्ज की जावेगी।

5.4 आवंटित बी.एड.महाविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदकों को हेल्प सेंटर महाविद्यालय में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो संबंधित बी.एड.महाविद्यालय के नाम देय हो तथा जिसके पीछे आवेदक का नाम, पंजीयन क्रमांक एवं आवंटित बी0एड0 महाविद्यालय का नाम अंकित हो, निर्धारित प्रवेश समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक प्रवेश शुल्क हेतु रूपये 5000/–(रू0 पांच हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हुए प्रवेश प्राप्त कर शेष शुल्क की राशि (प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित/प्रवेशित महाविद्यालय हेतु निर्धारित शुल्क) की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति से करेंगे। समयावधि में वांछित राशि जमा नहीं करने पर प्रवेश आवंटन स्वयंमेव निरस्त हो जाएगा।

5.5 यदि आवेदक द्वारा व्यक्त महाविद्यालयों के विकल्पों में से उसे आवंटन प्राप्त नही होता है अथवा आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं चाहने पर आवेदकों को रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण में पुनः महाविद्यालयों के चयन की सुविधा रहेगी। किन्तु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं चाहने पर प्रथम चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा। आवेदकों को चाहिये कि वे अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन अपनी रुचि एवं प्राथमिकतानुसार, बिना किसी

दबाव एवं स्व–विवेक से, बहुत सोच–समझ कर करें जिससे मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में सुनिश्चित हो सके।

5.6 यदि किन्ही दो आवेदकों के मेरिट अंक समान है, तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को पहले वरीयता दी जाएगी।

5.7 द्वितीय चरण के पश्चात् अंतिम काउन्सिलिंग के रुप में ऐसे बी0एड0 महाविद्यालय जहॉ स्थान रिक्त हैं, में प्रवेश के इच्छुक आवंटन अप्राप्त अथवा आवंटित महाविद्यालय में किसी कारण से प्रवेश न लेने वाले आवेदक को संबंधित बी0एड0 महाविद्यालय से संबंधित शासकीय हेल्प सेंटर महाविद्यालय में अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक उपस्थित होना होगा। गुणानुक्रम के आधार पर आवेदकों को प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।

5.8 वांछित दस्तावेजों एवं शुल्क राशि के ड्राफ्ट को जमा करने के पश्चात् आवेदक बी.एड. महाविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। आवदेक को महाविद्यालय से संबंधित अन्य कार्यवाही जैसे परिचय–पत्र एवं पुस्तकालय–पत्र इत्यादि बनवाने का कार्य आवंटित बी0एड0 महाविद्यालय में ही पूर्ण करना होगा।

5.9 आरक्षित वर्ग के आवेदकों (केवल मध्यप्रदेश राज्य के आवेदक) की छात्रवृत्ति संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने के प्रमाण, संबंधित बी.एड.महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत करने पर ही इन वर्गों के आवेदकों के ड्राफ्ट उन्हें सौंपे जावेंगे।

6. प्रवेश का निरस्तीकरण : यदि कोई प्रत्याशी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने या किसी अन्य त्रुटि या अनदेखी के कारण अथवा प्रवेश के बाद प्रत्याशी की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई कमी पायी जाने या उसके मूल प्रमाण–पत्रों अथवा दस्तावेजों के जाली पाये जाने पर आवेदक का प्रवेश बिना कोई सूचना दिये तत्काल निरस्त किया जायेगा और आवेदक द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क राशि राजसात कर ली जायेगा। ऐसे आवेदकों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

7. शुल्क वापसी : बी.एड. महाविद्यालय में आवंटित स्थान पर प्रवेश लेने के पश्चात् प्रवेश निरस्त करने के लिये किये गये किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं आवेदक द्वारा जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं की जावेगी।

8. **अन्य प्रक्रिया**

8.1 त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्रमाण पत्र : यदि आरक्षण या किसी अन्य दावे संबंधी प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रवेश के समय गलत या अपूर्ण पाये जाते हैं तो हेल्प सेंटर महाविद्यालय के प्राचार्य संबंधित आवेदक को प्रवेश नहीं देंगे एवं इसकी लिखित सूचना अविलंब एम.पी. ऑनलाईन और आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को देंगे।

8.2 अग्रणी महाविद्यालय काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंधित चरण की समाप्ति के पश्चात् निरस्त किये गये स्थानांतरण प्रमाण–पत्र एवं प्रवेश शुल्क के ड्राफ्ट सूचीबद्ध कर संबंधित बी0एड0 महाविद्यालयों को कंडिका 5.9 का पालन करते हुए सौपेंगे। समस्त बी0एड0 महाविद्यालयों के प्राचार्य बी0एड0 महाविद्यालय के नाम से खाता खुलवायेंगे जिसमें छात्रों द्वारा प्रस्तुत उनके महाविद्यालय के नाम से बनाये गये ड्राफ्ट जमा करवा सकेंगे।

8.3 आरक्षित वर्ग (केवल म0प्र0 राज्य के आवेदक) की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित बी0एड0 महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात्, हेल्प सेंटर (शासकीय महाविद्यालय) को प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर अंतरित की जायेगी। सामान्य वर्ग एवं बाह्य राज्यों के समस्त आवेदकों के ड्राफ्ट समय–समय पर चरण समाप्ति उपरांत संबंधित बी0एड0 महाविद्यालयों को सौंपे जायेंगे।

8.4 संस्थाओं की किन्ही कारणवश संबद्धता समाप्त की जाती है तो विद्यार्थियों को अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित करने की कार्यवाही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

8.5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी 276/12 में पारित निर्णय अनुसार निर्धारित तिथियों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा। किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

8.6 कंडिका 1.3 में उल्लेखित तिथियों के पश्चात् मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्र की काउंसलिंग में शामिल किया जायेगा।

8.7 किसी भी वाद की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, ही अधिकृत होगा।

8.8 एनसीटीई द्वारा संबंधित रेगुलेशन के किसी प्रावधान को यदि परिवर्तित किया जाता है तो तदनुसार उसे मार्गदर्शी सिद्धान्त में समावेश करते हुए संशोधित किया जावेगा।

अवर सचिव,
म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2015–2016
बी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)

1. प्रवेश हेतु परीक्षा हेतु विज्ञापन	जनवरी 2015
2. आवेदन जमा करना	01 फरवरी से 3 मार्च, 2015
3. दस्तावेजों का अभिप्रमाणीकरण	02 फरवरी से 05 मार्च 2015
4. प्रवेश परीक्षा	19 अप्रैल, 2015
5. प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा	10 मई, 2015 (संभावित)
6. ऑनलाइन पंजीयन के साथ महावि0 की वरीयता	18 मई से 28 मई, 2015
7. काउंसलिंग प्रक्रिया	01 जून से 29 जून, 2015
8. कक्षाएं प्रारंभ	01 जुलाई 2015
9. वार्षिक परीक्षाएं	मई, 2016
10.परीक्षा परिणाम की घोषणा	जून, 2016

II. शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना
(01 जुलाई, 2015 से 15 अप्रैल, 2016 तक कुल दिवस 289)

कुल शैक्षणिक दिवस	200	
कुल अशैक्षणिक दिवसः–		
1. रविवार		43
2. सामान्य अवकाश	23	
3. स्थानीय अवकाश	03	
4. महाविद्यालयीन गतिविधियॉं	10	
5. परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	10	
	———	
		89
		———

कुल शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक दिवस (200 + 89)= 289 दिवस

rkfydk &1
gYi lsUVj dh lwph

List of Help Centres			
S.No.	**District**	**HC NAME**	**City**
1	Alirajpur	Govt College	Alirajpur
2	Anuppur	Govt Tulsi Degree College	Anuppur
3	Ashok Nagar	Govt Nehru Degree College	Ashoknagar
4	Badwani	Govt P G College	Badwani
5	Badwani	Govt College	Sendhwa
6	Balaghat	Govt Jatashankar Trivedi College	Balaghat
7	Betul	Govt Jaywanti Haksar P G College	Betul
8	Bhind	Govt Girls College	Bhind
9	Bhind	Govt M J S P G College	Bhind
10	Bhopal	Govt Adarsh Motilal Vigyan Mahavidyalaya	Bhopal
11	Bhopal	Govt Benazir College	Bhopal
12	Bhopal	Govt Gitanjali Girls P G College	Bhopal
13	Bhopal	Govt Hamidiya Arts and Commerce College	Bhopal
14	Bhopal	Govt M.L.B. Girls College	Bhopal
15	Bhopal	Govt P G College, Bhel	Bhopal
16	Bhopal	Govt Sarojini Naidu Girls P G College	Bhopal
17	Burhanpur	Govt Jawaharlal Nehru College	Nepanagar
18	Chhatarpur	Govt Girls College	Chhatarpur
19	Chhatarpur	Govt Maharaja College	Chhatarpur
20	Chhindwara	Govt P G College	Chhindwara
21	Damoh	Govt P G College	Damoh
22	Datia	Govt Girls College	Datia
23	Datia	Govt P G College	Datia
24	Dewas	Govt Krishnajirao Pawar P G College	Dewas
25	Dhar	Govt P G College	Dhar
26	Dindori	Govt Chandravijay College	Dindori
27	Guna	Govt P G College	Guna
28	Gwalior	Govt Adarsh Science College	Gwalior
29	Gwalior	Govt Bhagawat Sahay College	Gwalior
30	Gwalior	Govt Kamlaraje Girls P G College	Gwalior
31	Gwalior	Govt M L B Arts and Commerce College	Gwalior
32	Gwalior	Govt Virangna Jhalkari Bai Girls College	Gwalior
33	Harda	Govt Arts and Commerce College	Harda
34	Hoshangabad	Govt Home Science Girls P G College	Hoshangabad
35	Hoshangabad	Govt Narmada College	Hoshangabad
36	Indore	Govt Girls P G College, Moti Tabela	Indore
37	Indore	Govt Holkar Science College	Indore
38	Indore	Govt Nutan Girls P G Colege, Kilabhawan	Indore

List of Help Centres			
S.No.	**District**	**HC NAME**	**City**
39	Indore	Shri Atal Bihari Vajpai Govt Arts and Commerce College	Indore
40	Jabalpur	Govt M H Home Science Girls P G College	Jabalpur
41	Jabalpur	Govt M K B Arts and Commerce College	Jabalpur
42	Jabalpur	Govt Mahakaushal Arts and Commerce College	Jabalpur
43	Jabalpur	Govt Science College	Jabalpur
44	Jhabua	Govt Shahid Chandrshekhar P G College	Jhabua
45	Katni	Govt Tilak College	Katni
46	Khandwa	Govt Shri Nilkantheshwar P G College	Khandwa
47	Khargone	Govt P G College	Khargone
48	Mandla	Govt Rani Durgawati College	Mandla
49	Mandsaur	Govt P G College	Mandsaur
50	Morena	Govt PG College Morena	Morena
51	Morena	Govt Girls College	Morena
52	Narsinghpur	Govt P G College	Narsinghpur
53	Neemuch	Swami Vivekanand Govt P G College	Neemuch
54	Panna	Govt Chhatrasal P G College	Panna
55	Raisen	Govt Swami Vivekanand College	Raisen
56	Rajgarh	Govt College	Rajgarh
57	Ratlam	Govt Arts and Science P G College	Ratlam
58	Rewa	Govt Girls P G College	Rewa
59	Rewa	Govt Law College	Rewa
60	Rewa	Govt Thakur Ranmat Singh College	Rewa
61	Sagar	Govt Arts and Commerce College	Sagar
62	Sagar	Govt Girls P G College	Sagar
63	Satna	Govt Girls College	Satna
64	Satna	Govt P G College	Satna
65	Sehore	Chandra Shekhar Azad Govt P G College	Sehore
66	Seoni	Govt P G College	Seoni
67	Shahdol	Govt P G College	Shahdol
68	Shajapur	Govt Balkrishna Sharma Navin P G College	Shajapur
69	Sheopur	Govt College	Sheopur
70	Shivpuri	Govt P G College	Shivpuri
71	Sidhi	Govt Sanjay Gandhi Smrati College	Sidhi
72	Sidhi	Govt Girls College Sidhi	Sidhi
73	Singroli	Govt College	Waidhan
74	Tikamgarh	Govt P G College	Tikamgarh
75	Ujjain	Govt Kalidas Girls College	Ujjain
76	Umariya	Govt College	Umariya
77	Vidisha	Govt Girls College	Vidisha

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

egRoiw.kZ funsZ'k %&

2-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी के सत्यापन के संबंध में नियम पुस्तिका में उल्लेखित तिथियों में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (तालिका–1 में उल्लेखित शासकीय महाविद्यालय) से मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति को निरस्त किया जा सकेगा।

2-3 vkWuykbZu vkosnu&i= Hkjus dh O;oLFkk %&

(1) oscslkbV www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत बी0एड0 प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को निर्धारित शुल्क अर्थात अनारक्षित के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 500/– तथा केवल मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/निःशक्तजन के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 250/– का भुगतान कर भरा जा सकता है। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/निःशक्तजन के अभ्यर्थियों को रूपये 500/– परीक्षा शुल्क के रूप मे देय होगे। इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त क्योस्क से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रू. 70/– क्योस्क शुल्क देय होगा।

(3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-4 vkWuykbZu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkost dk fooj.k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(अ) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।

(ब) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

(स) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं, दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-5 ,d ls vf/kd vkuykbu vkonu&i= Hkjus lc/kh funs'k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा। विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-6 vkuykbu vkonu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lc/kh funs'k%&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(ii) फोटोग्राफ vkonu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxkQ ij f[kpokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA

(iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-7 vkuykbu vkonu Hkjus ds lc/k es funs'k %

2-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.02.2015 से दिनांक 03.03.2015 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। vkond }kjk Hkjs tkus okys vkonu i= es jkT; ,oa ftys dk fooj.k ehuu ds ek/;e ls ikIr gksxkA ftlls Hkfo"; es vko';drkuqlkj

jkT; ,oa ftys dh vko';d tkudkjh iklr dh tk ldsA igpku i= ds ehuw esa ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;fOax ykblsl] QksVks;qDr vadlwph rFkk ikliksVZ dk iko/kku j[kk x;k gS ;fn vkosnd }kjk vU; igpku i= p;u fd;k tkrk gS rks og nLrkosat dks lkFk gh blds tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa iznku djuh gksxhA vkosnd dks vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA buds vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugha gksxkA ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

- 2-7-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होगे :– (अ) आवेदक के निवास पर इंटरनेट की सुविधा होने पर स्वयं के निवास से। (ब) आवेदक के शहर अथवा गॉव में स्थित इंटरनेट सुविधा से। (स) एम0पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से।

bUVjusV ds ek/;e ls vkuykbu vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %

2-7-2-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2015 से संबंधित ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funs'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

2-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

2-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे :–

- इंटरनेट बैंकिंग से।
- एटीएम / डेबिट / क्रेडिट कार्ड से।
- एम0पी0 ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान से।

2-7-2-4 ØsfMV@MsfcV dkMZ ds ek/;e ls ijh{kk 'kqYd dk Hkqxrku%&

आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट / डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट / डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-2-5 bVjuV cfdx d ek/;e l ijh{kk 'kYd dk Hkxrku %&

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-3 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd d ek/;e l vkonu Qke Hkju dh fof/k %&

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभॉति भरकर देना होगा, जिसके आधार पर कियोस्कधारक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक, आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभॉति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक, कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक के ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारियों के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे नियम पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित तिथि अनुसार अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के सत्यापन से पूर्व स्वयं उपस्थित होकर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (शासकीय महाविद्यालय) के माध्यम से संशोधन, निर्धारित शुल्क का भुगतान कर कराया जा सकेगा।

2-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर, आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे नियम पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर उल्लेखित तिथि अनुसार अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के सत्यापन से पूर्व स्वयं उपस्थित होकर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (शासकीय महाविद्यालय) के माध्यम से संशोधन, निर्धारित शुल्क का भुगतान कर कराया जा सकेगा।

ukV%& ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-8 fu/kkfjr frfFk e tek fd, x, vkuykbu vkonu i= e l'kks/ku dh 0;oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा सत्यापन के समय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (शासकीय महाविद्यालय) के माध्यम से संशोधन किया जा सकेगा जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2-8-1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् नियम पुस्तिका में उल्लेख तिथि अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में यदि कोई संशोधन है तो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों के सत्यापन से पूर्व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (शासकीय महाविद्यालय) के माध्यम से संशोधन करवा सकता है। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के

लिए ही उपलब्ध होगी। <u>l'kk/ku mijkr lR;kiu lc/kh dk;okgh dh tk;xhA</u> सत्यापन उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जायेगा।

2-8-2 सत्यापन एवं संशोधन हेतु निर्धारित तिथि में आवेदक सत्यापन से पूर्व अपने आवेदन पत्र में एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (शासकीय महाविद्यालय) के माध्यम से करवा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अपिव के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक के Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित हेल्प सेन्टर (शासकीय महाविद्यालय) द्वारा एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से एडमिनिशट्रेटिव पासवर्ड द्वारा ही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2-9 vkuykbu vkonu&i= dk fujLrhdj.k %&

एम0पी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उल्लेखित अनुसार उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-10 ijh{kk iosʼk&i= (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों एवं सत्यापित आवेदकों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसकें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

i.o'k&i= ikIr djus dh i.fØ;k&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ukV& 1 **निर्धारित अंतिम तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन करा चुके आवेदक ही प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे तथा मण्डल द्वारा उन्ही अभ्यर्थियों को टी0ए0सी0 जारी किया जाएगा जिन्होने नियम पुस्तिका में उल्लेखित तिथि अनुसार मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया हो तथा जिनके फोटो, हस्ताक्षर तथा हस्तलिपि के आधार पर नियम क्रमांक 2.9 अनुसार निरस्त नही किया गया है।**

2 प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-11 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :–

स.क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र	स.क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
01	मंदसौर	10	रीवा
02	इन्दौर	11	सतना
03	उज्जैन	12	शहडोल
04	भोपाल	13	ग्वालियर
05	होशंगाबाद	14	मुरैना
06	छिन्दवाड़ा	15	बालाघाट
07	छतरपुर	16	गुना
08	सागर	17	बुरहानपुर
09	जबलपुर	18	भिण्ड

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

2-12 ijh{kk 'kqYd %&

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित श्रेणी के लिए रू. 500/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन के लिये रु. 250/– निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रू. 70/– अतिरिक्त देय होगा।

2-13 ijh{kk gky esa ykus tkus gsrq vko';d lkexzh %&

परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ **मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा उसके द्वारा अतिरिक्त रूप से चयनित अन्य** फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा तिथि पर साथ नही लाने की स्थिति में ही मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी.ए.सी.) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर **राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा** , परीक्षार्थी को तभी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता होगी।

2.14 इस परीक्षा में Calculator,Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.15 लिखित परीक्षा का विवरण :–

स.क्रं.	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	19.04.2015	02 घंटे	प्रातः 10:00 बजे से 12.15 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से भरना होगा।

2.16 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

¼d½ परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

¼[k½ अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

¼x½ परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

¼?k½ परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

¼M-½ अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

¼p½ अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

¼N½ प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

¼t½ नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

¼>½ सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

¼´½ सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

¼V½ परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी में माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व प्रवेश/नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की प्रवेश/नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

¼B½ परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनिंग में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

¼M½ परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

2.17 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर(Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-18 =fVi.k i'u] mldk fujLrhdj.k ,o cny e fn;k x;k vd ¼&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2- प्रश्न की संरचना गलत हो।
3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4- कोई भी विकल्प सही न हो।
5- यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{81 \text{ x } 100}{(100 - 2)} = 82.65 = \text{Round Off } 83$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित i`"B&08 ,oa 09 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है । बिन्दु क्रमांक 2.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से

प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-20 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर आदर्श उत्तर (model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय–1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-21 fyf[kr ijh{kk esa fu%'kDrtu vH;kfFk;ksa ds fy, miyC/k lqfo/kk,a %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजनों को सुविधाएँ प्रदान की जाएगी :–

¼v½ lqfo/kk,a izklr djus grq ik= vH;kFkhZ %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हों, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

¼c½ iznku dh tkus okyh lqfo/kk,a %&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यार्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

¼l½ ys[ku fyfid dh fu;qfDr grq 'krsZ %&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी शैक्षणिक योग्यता परीक्षार्थी से कम हो।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

¼n½ blds vfrfjDr iznk; dh tkus okyh lqfo/kk,a %&

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. लेखन लिपिक की सेवाएं उपलब्ध कराने पर उन्हें यथासंभव एक अलग कक्ष की व्यवस्था भूतल पर की जावेगी।

2.22 अंक सूची :-

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.23 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का कार्य पर्यवेक्षण परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.24 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

———0———

अध्याय – 3

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2015 हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम की रुपरेखा

बी0एड0 दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विधा	प्रश्न संख्या	अंक
1.	सामान्य मानसिक योग्यता (General Mental Ability)	30	30 अंक
2.	सामान्य चेतना (General Awareness)	20	20 अंक
3.	सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी (General Hindi and English)	20 (10 + 10)	20 अंक (10 अंक + 10 अंक)
4.	शैक्षणिक अभिरूचि (Teaching Aptitude)	30	30 अंक
	कुल	100	100

बी0एड0 प्रवेश परीक्षा 2015 हेतु पाठ्यक्रम

Syllabus of B.Ed. Entrance Examination 2015

भाग–1

सामान्य मानसिक योग्यता (30 अंक)

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, अंक एवं आकृति, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी समस्याएं एवं विभिन्न प्रकार के पैटर्न इत्यादि।

Part-1

GENERAL MENTAL ABILITY

Reasoning, Seeing relationship, Analogies, Numerical ability and Spatial relationship, Odd man out, Number series, Letter series, Relationship through letters, numbers and figures, Code language, Hidden figures, Mathematical operations, Matching figures, Cube problems and Patterns of different kinds etc.

भाग–2

सामान्य चेतना (20 अंक)

सामान्य विज्ञान खंड को छोडकर शेष सभी खंडों का स्तर मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ एवं भारत तक सीमित होगा।

1.	भारतीय इतिहास	भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाऐं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद के घटनाक्रम।
2.	राजनीति विज्ञान	मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एकता, नागरिकता, मताधिकार, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्य सभा संबंधी मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3	अर्थशास्त्र	सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट–राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4	भूगोल	प्राकृतिक संसाधन एवं संपदा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारत के राज्यों की भौगोलिक विशेषताऐं।
5	सामान्य विज्ञान	मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, सामान्य वैज्ञानिक घटनाऐं।
6	समसामयिक घटनाक्रम एवं खेल–कूद।	

Part-2
GENERL AWARENESS

The focus will be limited to India and with special reference to Madhya Pradesh, except in the area of General Science.

1.	Indian History	Indian Cultural Development, Historical events, History of Indian Independence (1857 to 1947), Development after 1947.
2.	Political Science	Fundamental Duties and Rights, Important Provisions of Constitution regarding Education, Language, Cultural, National unity, Citizenship, Franchise, National Symbol and National Personalities, Parliament Assemblies.
3.	Economics	Socio-economic Development, Population Perspectives, Gross National Product, Per Capita Income, Education Budget - State and Country, Planning Process, Agriculture, Rural Development, Industrial and Commercial Development, Indian Economy, Banking System, Employment Problem, Current Economic Events.
4.	Geography	Natural Resources and Wealth, Environment and Ecology, Geographical features of Indian States.
5.	General Science	Important Inventions and Inventors, Health and Hygiene, General Scientific Phenomenon.
6.	Current Affairs and Sports.	

भाग–3 / Part-3

सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी (कुल अंक 20)

सामान्य हिन्दी (10 अंक)

अ. व्याकरण

1.वर्णमाला – स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अनुनासिक, अनुस्वार
2.संज्ञापद, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग
3.समास –रचना एवं प्रकार
4.संधि – नियम एवं प्रकार
5.कथन (वाक्य रचना) के प्रकार – विनम्रता सूचक, विधि–निषेध, काल–बोध, स्थान एवं दिशा बोध
6.कारण–कार्य संबंध, अनुक्रम
7.व्याकरणिक अशुद्धियां

ब. शब्द बोध

1.शब्द रचना – उपसर्ग, प्रत्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रभाव,
2.शब्द प्रकार – तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, नवनिर्मित,
3.शब्दार्थ – पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म
4.अशुद्धि संशोधन – उच्चारणगत्, वर्तनीगत, शब्द व शब्दार्थगत
5.हिन्दी के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, पारिभाषिक शब्द निर्माण के आधार
6.पारिभाषिक शब्द– प्रशासनिक, मानविकीय, वाणिज्यिक

स. रचना

(क) प्रतिवेदन
(ख) आदेश
(ग) ज्ञापन
(घ) अधिसूचना
(ड.) परिपत्र
(च) अनुस्मारक
(छ) पृष्ठांकन
मुहावरे तथा लोकोक्तियॉ, अर्थ एवं प्रयोग
गद्यांश एवं अवबोध प्रश्न

द. 1.मानक भाषा – स्वरूप एवं लक्षण
2.वाक्य रचनागत अशुद्धियों की पहचान

General English (10 अंक)

1- Simple and Compound Sentences
2- Type of Clauses
3- Transformation of Sentences
4- Tenses
5- Change of Voice and Narration
6- Modals
7- Verb Structures
8- Tag Questions
9- Propositions
10- Prefixes and Suffixes
11- Synonyms and Antonyms
12- Reading Comprehension - Comprehension of a passage containing about 300 words dealing with a subject of general nature followed by multiple choice questions.

भाग–4

शैक्षणिक अभिरूचि (30 अंक)

बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं एवं जानकारी, शिक्षकीयवृत्ति में रूचि।

Part-4
Teaching Aptitude

Aptitude towards Children, Adaptability, Professional Information and Interest in Teaching Profession.

अध्याय–4

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रारूप–1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

अनुभाग..........................जिला............................ **मध्यप्रदेश**

पुस्तक क्रमांक.................................. प्रकरण क्रमांक ....

प्रमाण पत्र क्रमांक ....

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..................................पिता/पति का नाम .... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के संविधान अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छे 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2

मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... पिता / पति का नाम .... के नाम निवासी है जो .... जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–8–5 / पच्चीस / 4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23–4–97–चौवन, दिनांक 02 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है जो कि सूची के क्रमांक........................ पर अंकित है।

श्री .... (पिता का नाम) और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग .... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... (पिता का नाम) क्रीमीलियर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360 / 2 / 22 / 93.(एस.सी.टी.) दिनांक 08. 09.2003 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–7–28 / 2009 / आ.प्र.,–1 दिनांक–2 जुलाई, 2013 की कंडिका क्रमांक 6 के कॉलम 3 (क) के अनुसार।

दिनांक

(सील) हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

यह प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–3

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक...................................... दिनांक...............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....जो उच्च शिक्ष विभाग द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2015 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/कुमारी ....के पिता/माता है।

अथवा

(अ) जिन्होंने स्थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..पर पर सर्विस क्रमांक.. के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष.................... ....में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दोरान वे स्थायी रूप से विकलांक हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मुत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

स्थान................................ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

दिनांक............................. हस्ताक्षर

....

(कार्यालय सील)

प्रारूप–3(ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक...............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2015 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/कुमारी ....के पिता/माता है।

(अ) जिन्होंने स्थलसेना/वायुसेना/नौसेना में...पर पर सर्विस क्रमांक.. के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष.......................................में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दोरान वे स्थायी रूप से विकलागं हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मुत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

स्थान................................ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
दिनांक............................. हस्ताक्षर

....

(कार्यालय सील)

प्रारूप–3(स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समख प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता हे कि श्री/श्रीमती/कुमारी.(आवेदक का नाम) .... जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2015 के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है, बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .... के पिता/पति/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील .... जिजा .... में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान .... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय सीलदिनांक ....

प्रारूप–4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी .... (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती .... (आवेदक के पिता/भाता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है। जो श्री/श्रीमती .... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।

(2) श्री/श्रीमती .... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला .... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (........) में क्रमांक .... पर पंजीकृत है।

स्थान .... हस्ताक्षर कलेक्टर

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

दिनांक ....

प्रारूप–5

म0प्र0 मूलनिवास संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री .... जो तहसील ....
..
जिला .... मध्यप्रदेश का/की निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है।

अथवा

(2) वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथ्वा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत् है।

अथवा

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवस्था रखते हैं। इसके अतिरिक्त

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+ 2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

प्राधिकृत सक्षम जारीकर्त्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक .... (कार्यालय सील)

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रारूप–5(अ)

<u>वास्तविक निवास संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र</u>

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
..
जो .... उच्च शिक्षा विभाग .... द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2015 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है, श्री/श्रीमती/कुमारी .... का/की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं।

(क) जो .... विभाग में ....पद पर .... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में .... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में .... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए .... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में .... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

स्थान .... कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रारूप–5(ब)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... उच्च शिक्षा विभाग .... द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2015 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है, श्री/श्रीमती/कुमारी .... का/की पुत्र/पत्नी/पुत्री है, जो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की तिथि से अथवा उसके पूर्व के तिथि . ... पद पर पदस्थ प्रतिरक्षा/केन्द्रीय–शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान .... कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .... नाम एवं पद ....

(कार्यालय सील)

प्रारूप–5(स) : मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... उच्च शिक्षा विभाग .... द्वारा प्रमाणित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2015 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है, श्री/श्रीमती/कुमारी .... का/की पुत्र/पत्नी/पुत्री है। जो .... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुर्नव्यवस्थापना योजना (Resettlement Scheme) है।

स्थान .... हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रारूप–6

बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

(All SC/ST Candidates are required to submit their Caste Certificate in the prescribed format only)

This is to certify that Shri/Shrimathi*/Kumari*__________________________________

Son/daughter* of ____

of village/town* ____

in District/Division*_______________________________________of the State/Union Territory*___________________ belongs to the_____________________ Caste/ Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste Scheduled Tribe*

Under:

The Constitution (Scheduled Castes)Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

(As amended by the Scheduled Castes and Schedules Tribes Lists (Modification Order)1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Schedules Tribes Orders(Amendment) Act, 1976.)

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;

*The Constitution(Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders(Amendment)Act, 1976;

*The constitution(Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;

*The Constitution (Uttar Pradesh, Scheduled Tribes Order, 1967;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968;]

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; *The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989. *The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990. *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991. *The

Constitution(Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act,1991.

**This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimathi*____________________________________

father/mother*of Shri/Shrimathi/Kumari*________________________ of village/town*____________________in District/Division*_______________ of the State/Union Territory* ____________________________________ ________

who belong to the Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* ___________________________ issued by the _____________________dated_____________.

Shri/Shrimathi*/Kumari*____________________________________and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town*_______________________________of _____________________________District/Division* of the State/Union Territory* of ______________________________________.

Signature____________________ Designation___________________

(With seal of office)
State/Union Territory

Place:_______________ Date:________________

Note: The term "Ordinarily resides" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.
Please delete the words which are not applicable.
** Applicable in the case of SCs, STs Persons who have migrated from one State/UT (Employment News 9/92).xI

प्रारूप–7

बाह्य राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL) APPLYING FOR ADMISSION)

This is to certify that Shri/Smt./Kum. ______________________________Son / Daughter of Shri / Smt.________________________ of Village/Town ____________________________

District / Division ______________________ in the ______________________ State belongs to the_______________________ Community which is recognized as a backward class under:

1. Resolution No. 12011/68/93- BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.186 dated 13/09/93.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 163 dated 20/10/94.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25/05/95.
4. Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
5. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96.
6. Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
8. Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
9. Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 270 dated 06/12/99.
10. Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71dated 04/04/2000.
11. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 21/09/2000.
12. Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001.
13. Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
14. Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
15. Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.210 dated 16/01/2006.

Shri/Smt./Kum. ______________________________and/or his family ordinarily reside(s) in the

________________District / Division of ________________ State. This is also to certify that he / she does not

belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated: District Magistrate / Competent Authority

Seal

NOTE:

(a) The term “Ordinarily” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:

1. District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)
2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.
3. Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides.

(c) The annual income /status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2014.

प्रारूप–8

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न / उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक / उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर...............................
आवेदक का नाम..................................

स्थान ....
दिनांक ....

प्रारूप–9

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	
प्रश्न पत्र का कोड	
परीक्षा शिफ्ट	
परीक्षा का समय	
परीक्षा शहर का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..

आवेदक का नाम एवं पता.......................................

....

....

दूरभाष क्रमांक..

दिनांक ....

आरक्षण तालिका

बी0एड0 महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों का आरक्षण निम्नानुसार होगा (एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालयों से मान्यता/संबद्धता 2015 हेतु प्राप्त महाविद्यालयों की सूची उपलब्ध होने पर सीट संख्या में परिवर्तन संभव है)

अनुमानित कुल सीट संख्या	**49,665**
बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु 25%	**12,416**
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु0जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 15%	**1,862**
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अनु0जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 7.5%	**931**
बाह्य राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 27%	**3,352**
बाह्य राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	**6,271**
म0प्र0 राज्य के आवेदकों हेतु 75%	**37,249**
म0प्र0 राज्य के आवेदकों में से अनु0जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 16%	**5,960**
म0प्र0 राज्य के आवेदकों में से अनु0जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु 20%	**7,450**
म0प्र0 राज्य के आवेदकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 14%	**5,215**
म0प्र0 राज्य के अनारक्षित आवेदकों हेतु	**18,624**

अधिकतर बी0एड0 महाविद्यालयों में निर्धारित सीटों की संख्या 100 होने के कारण 100 सीट पर आरक्षण निम्नानुसार होगा –

म0प्र0 राज्य के आवेदकों के लिए 75 सीट				बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए 25 सीट				कुल सीट
सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
38	**10**	**12**	**15**	**12**	**07**	**04**	**02**	**100**

1. महिलाओं के लिए 30% एवं म0प्र0 राज्य के आवेदकों हेतु विभिन्न संवर्ग जैसे – निःशक्तजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सैनिक हेतु पृथक–पृथक 3% तथा विधवा अथवा परित्यक्ता के लिए 1% क्षैतिजीय आरक्षण नियमानुसार प्रदान किया जावेगा।
2. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा।

lgefr iek.k&i=

e/;insz'k O;kolkf;d ijh{kk e.My }kjk ch0,M0 iw0o'k ijh{kk&2015 ds fy, rS;kj dh xbZ fu;eiqfLrdk esa mYysf[kr mPp f'k{kk foHkkx] e0iz0 ls lacf/kr leLr fu;e o tkudkjh dh iqf"V o lgefr iznku dh tkrh gSA rS;kj fu;eiqfLrdk ds vuqlkj ijh{kk vk;kstu esa foHkkx dks dksbZ vkifRr ugha gS rFkk ijh{kk vk;kstu ds lac/k esa foHkkx viuk iw.kZ lg;ksx iznku djsxkA

rnuqlkj ;g lgefr iek.k&i= lR;kfir@gLrk{kfjr dj iznku fd;k tkrk gSA

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम :–...
पदनाम :–..
सील :–..

M.P.PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD, BHOPAL

ch0,M0 izos'k ijh{kk&2015

List of Activity

Activity No.	Activity	Date of Accomplishment
01	Receipt of certified rules from the Department	19.01.2015
02	Editing of Rules	20.01.2015
03	Approval of Design of Rule Book	21.01.2015
04	Approval of Design of Application form	23.01.2015
05	Softcopy of Rules on Vyapam & MPONLINE website	27.01.2015
06	Approval of Draft of Advertisement	29.01.2015
07	**Advertisement in News Papers**	**30.01.2015**
08	**Start of Online A/F**	**01.02.2015**
09	**Start of Rectification of Online A/F by Applicant** **Start of Verification Through Govt. Colleges Help Centre**	**02.02.2015**
10	Letter to Co-ordinators for exam centres	04.02.2015
11	Appointment of Central Observers	06.02.2015
12	**End of Online submission of A/F**	**03.03.2015**
13	**End of Rectification of Online A/F by Applicant** **End of Verification Through Govt. Colleges Help Centre**	**05.03.2015**
14	Order for Printing of Question Booklets	07.03.2015
15	Summary of Applications city wise	09.03.2015
16	Scrutiny/ Checking	09.03.2015 to 18.03.2015
17	Appointment of Observers	30.03.2015
18	Finalized List of Centres to Computer Section	30.03.2015
19	Order for Packing of Confidential Material	01.04.2015
20	Letter for Police arrangement	06.04.2015
21	Processing of Data	06.04.2015
22	Allotment of Roll Nos.	07.04.2015
23	Generation of TAC's	07.04.2015
24	Uploading of TAC's	07.04.2015
25	Order for Centre wise packing of Question Booklets	08.04.2015
26	Notice in newspapers regarding TAC's uploading	08.04.2015
27	Printing of Register & Docket for packing of Confidential Material	08.04.2015
28	Letter to Collectors for Law & Order	08.04.2015
29	Printing of Reports RASA, Centre List , Centre Advance	09.04.2015
30	Preparation of Bank Drafts/Rtgs on the basis of Centre Advance	09.04.2015
31	Finalization of Route chart	09.04.2015
32	**Dispatch of Non-Confidential Material**	**10.04.2015**
33	Receipt of Confidential Material	12.04.2015
34	Packing of Confidential Material	13.04.2015 to 15.04.2015
35	**Briefing of Observers**	**16.04.2015**
36	Checking of Confidential Material by Observers	16.04.2015
37	Dispatch of Confidential Material	17.04.2015 & 18.04.2015
38	**Examination Day**	**19.04.2015**
39	Uploading of Model Answers Key	20.04.2015
40	Last date for Representation on Model Answers Key and Question Paper	27.04.2015
41	Meeting of Key Committee	02.05.2015
42	Uploading of Final Answers Key and Declaration of Result	10.05.2015

Prof. Sanjay Kumar Jain
Joint Controller (Exam)

Dr. Alok Chobey
Controller